



दिनांक 08.10.2021

प्रेस विज्ञप्ति 08/2021

## मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

### पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस कार्य से सम्बन्धित विभिन्न एप्स के सम्बन्ध में की गयी बैठक

आज दिनांक: 08.10.2021 को श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में श्री रामफल पवार, महानिदेशक, एनसीआरबी, नई दिल्ली के साथ पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार स्थित संकल्प सभागार में बैठक की गयी, जिसमें मुख्यालय स्थित विभिन्न इकाईयों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जुड़े समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक के दौरान डिप्टी डायरेक्ट एनसीआरबी द्वारा एनएएफआईएस (NAFIS)/आईसीजेएस(ICJS)/सीसीटीएनएस(CCTNS)एवं एमएचए (MHA)/एनसीआरबी (NCRB) द्वारा विकसित किये गये विभिन्न एप्स का प्रस्तुतिकरण किया गया तथा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, डिजिटल पुलिस पोर्टल, सेन्ट्रल सिटीजन सर्विसेज आदि के परिपेक्ष्य में बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गयी।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, एनसीआरबी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।

उक्त बैठक में पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, मुख्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक ईओडब्लू, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना,

अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर काइम, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा, अपर पुलिस महानिदेशक भवन कल्याण, पुलिस उपमहानिरीक्षक लोक शिकायत, पुलिस उपमहानिरीक्षक तकनीकी सेवाएं, पुलिस अधीक्षक एससीआरबी, पुलिस अधीक्षक अपराध, पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र सहित अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।





### जनपद बिजनौर/थाना चाँदपुर

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 08.10.2021 को थाना चाँदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नूरपुर बस स्टैण्ड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त महीपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों में हत्या, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना चाँदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 654/2020 धारा 302/201 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चाँदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त

1—महीपाल निवासी जमालुद्दीनपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।

#### बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

### जनपद शाहजहाँपुर/थाना निगोही

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 07.10.2021 की रात्रि थाना निगोही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चीनी मिल चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त हनीफ को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना निगोही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2021 , मु0अ0सं0 239/2021 में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना निगोही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—हनीफ निवासी तालगांव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

### बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

### जनपद हरदोई/थाना कोतवाली शहर

- 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- 15 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक 08.10.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1—सन्तोष 2—विजयपाल 3—रामनिवास 4—हरिनाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 15 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो ग्रामीण लोगो को अपने जॉल में फँसाकर उनके कागजात लेकर भिन्न-भिन्न बैंको से किस्तों पर उनके नाम से लोन कराकर बिना वाहन स्वामी के जानकारी के सस्ते दामों पर बेच देते थे।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सन्तोष निवासी ग्राम कल्याणी थाना पिहानी जनपद हरदोई।
- 2—विजयपाल निवासी दिबिया फतेहपुर थाना टडियावां जनपद हरदोई।
- 3—रामनिवास निवासी हरिहरपुर थाना टडियावां जनपद हरदोई।
- 4—हरिनाम निवासी कटरा बाजार थाना पिहानी जनपद हरदोई।

### बरामदगी

- 1—15 दो पहिया वाहन।

### जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

#### ● 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की 300 किलोग्राम अवैध गांजा
- घटना में प्रयुक्त 01 टाटा ट्रक बरामद

दिनांक 07.10.2021 को थाना सादाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बरोस के पास आगरा—हाथरस राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान 07 अभियुक्तों 1—सुभान शेख अमीर 2—भगवत 3—नीरज कुमार उर्फ दीपक 4—रामवीर 5—सुनील 6—जितेन्द्र 7—विष्णु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की 300 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 टाटा ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सुभान शेख अमीर निवासी साऊदा थाना सावदा जनपद जलगांव, महाराष्ट्र।
- 2—भगवत निवासी साऊदा थाना सावदा जनपद जलगांव, महाराष्ट्र।
- 3—नीरज कुमार उर्फ दीपक निवासी नगल चेता थाना राया जनपद मथुरा।
- 4—रामवीर निवासी जीवनपुर थाना इगलास जनपद अलीगढ़।
- 5—सुनील निवासी जीवनपुर थाना इगलास जनपद अलीगढ़।
- 6—जितेन्द्र निवासी नगल अर्जुनिया थाना राया जनपद मथुरा।
- 7—विष्णु निवासी लोका थाना महावन जनपद मथुरा।

## बरामदगी

- 1—लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की 300 किलोग्राम अवैध गांजा।
- 2— घटना में प्रयुक्त 01 टाटा ट्रक।

## पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर —58

- 08 अभियुक्त गिरफ्तार
- धोखाधड़ी के सोने/चाँदी के आभूषण भारी मात्रा में
  - 07 मोबाइल फोन
  - 13 हजार 198 रुपये नगद
- घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 08.10.2021 को थाना सेक्टर-58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 08 अभियुक्तों 1—सचिन 2—प्रज्वल 3—अब्बास 4—मोहम्मद साहिब 5—मोहम्मद शाहिद 6—अफरोज 7—मोहम्मद नाजुर 8—हामिद अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के सोने/चाँदी के भारी मात्रा में आभूषण, 07 मोबाइल फोन, 13 हजार 198 रुपये नगद, 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा जेवरातों को दो गुना करने की बात कहकर धोखाधड़ी से फरार हो जाते थे।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सचिन निवासी न्यू पंचवटी कालोनी गाजियाबाद।
- 2-प्रज्वल निवासी बसुंधरा, गाजियाबाद।
- 3-अब्बास निवासी भलस्वा डेयरी कलेन्द्र कालोनी थाना भलस्वा , दिल्ली।
- 4-मोहम्मद साहिब निवासी वसुन्धरा झुग्गी मंगल बाजार थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।
- 5-मोहम्मद शाहिद निवासी कन्दर कालोनी दिलशाह गार्डन थाना सीमापुरी दिल्ली।
- 6-अफरोज निवासी मंगल बाजार के पास थाना वसुन्धरा जनपद गाजियाबाद।
- 7-मोहम्मद नाजुर निवासी कन्दर कालोनी दिलशाह गार्डन थाना सीमापुरी दिल्ली।
- 8-हामिद अली निवासी कलन्दर कालोनी भलस्वा डेयरी थाना भलस्वा डेयरी, पूर्व दिल्ली।

### बरामदगी

- 1-धोखाधड़ी के सोने/चौंदी के भारी मात्रा में आभूषण।
- 2-07 मोबाइल फोन।
- 3- 13 हजार 198 रूपये नगद।
- 4- 02 चार पहिया वाहन आदि।

### जनपद गाजियाबाद/थाना मसूरी

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- 66 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
- 04 हजार रूपये नगद
- 01 आयसर कैंटर बरामद

दिनांक 07.10.2021 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कौशिक ढाबा के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 66 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 04 हजार रूपये नगद, 01 आयसर कैंटर बरामद हुए।



इस सम्बन्ध में थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक निवासी हरिहरपुर भीखी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार।

### बरामदगी

1—66 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—04 हजार रुपये नगद।

3—01 आयसर कैंटर।

➤ जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे—08 मुजफ्फरनगर द्वारा थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त दीपांकर को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**एसटीएफ: वर्ष-2020 से रंगदारी, अपहरण एवं हत्या के मामलों में वांछित रू0**

**50,000/- का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 08-10-2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद सोनीपत व पानीपत (हरियाणा) के रंगदारी, अपहरण व हत्या जैसे जघन्य अपराधों में वांछित चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी नवीन उर्फ छोटू को थाना क्षेत्र नॉलेज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**अभियुक्त का विवरण:**

नवीन उर्फ छोटू पुत्र प्रताप सिंह नि० ग्राम भैंसवाल, थाना—सदर गोहाना, सोनीपत, हरियाणा।

**बरामदगी:-**

1. 01 पल्सर मोटर साईकिल
2. 01 अदद पिस्टल .32 बोर
3. 02 अदद खोखा कारतूस .32 बोर
4. 03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर
5. 01 अदद मोबाईल
6. 500 रूपये नगद

**गिरफ्तारी का स्थान व समय:-**

दिनांक 08.10.2021, स्थान: एल०जी० गोल चक्कर से शारदा गोल चक्कर की तरफ आईआईएमटी कट केपी-2 थाना नॉलेज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर समय:-02.30 बजे।

एस०टी०एफ० उत्तर प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में एस०टी०एफ० फील्ड इकाई, मेरठ में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 08.10.2021 को ज्ञात हुआ कि वर्ष 2020 से रंगदारी एवं हत्या जैने जघन्य अपराधों में फरार अपराधी नवीन उर्फ छोटू जो थाना शहर गोहाना जनपद सोनीपत हरियाणा से रंगदारी व हत्या के मामलों में फरार चल रहा है। जिस

पर रू0 50 हजार का पुरस्कार भी घोषित है, वह आज अपने किसी काम से दिल्ली की तरफ से परी चौक होते हुए सूरजपुर की ओर जाने वाला हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम निरी0 श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में हे0का0 जयवर्धन, हे0का0 जोशी राणा, हे0का0 रकम सिंह, का0 विवेक पवॉर, का0 रोमिश तोमर, का0 प्रदीप धनकड, का0 आकाशदीप, का0 विनय कुमार एवं कान्स0 विकास धामा की टीम गौतमबुद्धनगर पहुँची तथा प्रभारी निरीक्षक नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर को इस सूचना से अवगत कराया गया, जिस पर उनके द्वारा एल0जी0 गोल चक्कर पर चेकिंग की जाने लगी। कुछ ही देर बाद एक संदिग्ध व्यक्ति पल्सर मोटर साईकिल से परी चौक से सूरजपुर की तरफ गुजरा जिसको परी चौक पर रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु वह व्यक्ति रूकने के बजाय तेजी से मोटर साईकिल को भगाने लगा, इस पर पुलिस टीम उसका पिछा करने लगी, जिस पर वह एल0जी0 गोल चक्कर से मुड़कर शारदा गोल चक्कर की तरफ को जाने लगा। आगे रास्ता खराब होने के कारण वह व्यक्ति अपने मोटर साईकिल को आईआईएमटी कालेज की तरफ जाने वाले पगडंडी रास्ते की तरफ मुड़ा उसी दौरान मोटर साईकिल फिसल कर गिर गयी। बदमाश द्वारा अपने को घिरा देखकर मोटर साईकिल छोड़ अपने हाथ में लिये तमंचे पर पुलिस पर जाने से मारने की नीयत से 02 जिससे पुलिस टीम बाल-बाल बची। जिसे आवश्यक बल प्रयोग करते हुए समय करीब 02.30 बजे एल0जी0 गोल चक्कर से शारदा गोल चक्कर की तरफ आईआईएमटी कट से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने भाई संदीप व दोस्तों के साथ मिलकर वर्ष-2007 में अपसी रंजिश के चलते गांव के राज सिंह की हत्या कर दी थी, जिसमें हम सभी जेल गये थे। इसके बाद वर्ष 2015 में मैं व मेरे भाई तथा दोस्त ने गोहाना में सिटी केबिल वाले भगत सिंह रंगदारी की माँग की थी। इस मुकदमें में भी हम जेल गये थे। वर्ष 2015 में ही मैंने अपने साथियों के साथ नाहरा गांव के मास्टर जो शराब का ठेकेदार था, का अपहरण कर 20 लाख की फिरौती माँगी गयी थी। वर्ष 2019 में मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने दोस्त प्रवीण उर्फ बिटटू की हत्या कर बदला लेने के लिए खतौली नहर पर रवि, सोनू और अक्षय को पानी में डूबो कर हत्या कर उनकी लाश को खतौली नहर में फेंक दिया था। इसके बाद वर्ष 2020 में एलएलटी रिफाईनरी पानीपत के तीन अधिकारियों से

अपहरण कर रंगदारी माँगी थी, जिसका मुकदमा थाना मतलौंडा पानीपत में दर्ज है, जिसमें मैं इधर-उधर छिपता घूम रहा हूँ। वर्ष 2020 में ही मैंने अपने हमारे गांव के पवन से हथियारों को लेकर मेरा उससे झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर पवन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें मेरे साथ जेल जा चुके हैं, परन्तु मैं अभी फरार चल रहा हूँ। माह अगस्त 2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर संदीप नि० मकडौली को रोहतक से उठाकर लाये थे, तथा थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में लाकर एक खेत में पानी में डूबोकर हत्या कर दी थी क्योंकि उसने अमित सीए नि० नजफगढ़ से उसके रिश्तेदारों की मौत का बदला लेने के लिए मुझे मरवाने हेतु पैसे ले रखे थे। वर्ष 2021 में मैंने एक लडकी के माध्यम से रोहित नि० भालौट, रोहतक को खेडा गाँव में किराये पर लिए डीडीए के फ्लेट पर बुलवाया था और वहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पानी की बाल्टी में डूबोकर मार दिया था तथा टाटा टीयागो कार से थाना नॉलेज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में शव को फेक दिया था, जिसके संबंध में थाना नॉलेज पार्क पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। आज मैं अपने निजी काम से सूरजपुर गौतमबुद्धनगर आया था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पूछताछ में उक्त घटनाओं के अतिरिक्त विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की घटनाओं को अन्जाम देकर शवों को इधर-उधर फैंकने की बात स्वीकार की है, जिसके संबंध में उक्त अपराधी के घटनाओं में शामिल रहने के संबंध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त नवीन उर्फ छोटू के विरुद्ध थाना नॉलेज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर पर मु०अ०सं० 305/2021 धारा 307/414 भादवि व अ०सं० 306/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

### अभियुक्त नवीन उर्फ छोटू का अपराधिक इतिहास:

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	318/07	148/149/323/302/506 भादवि	शहर गोहाना	सोनीपत

2	231 / 08	160 भादवि	मथुबन	सोनीपत
3	39 / 15	385 / 506 भादवि	शहर गोहाना	सोनीपत
4	292 / 15	385 / 364 / 506 भादवि	शहर गोहाना	सोनीपत
5	07 / 16	25 / 54 / 59 आर्म्स एक्ट व आब0अधि0	जानसठ	मु0नगर
6	292 / 16	307 / 34 / 120बी भादवि	सदर गोहाना	सोनीपत
7	212 / 19	302 / 201 / 120बी भादवि	खतौली	मु0नगर
8	324 / 20	148 / 149 / 123 / 124 / 302 / 506 / 120बी भादवि	सदर गोहाना	सोनीपत
9	292 / 20	148 / 149 / 364ए / 379 / 342 / 120बी / 20 1 / 323 / 341 / 384 / 387 / 34 भादवि	मतलौडा	पानीपत
10	302 / 21	147 / 302 / 201 / 34 भादवि	नॉलेज पार्क	गौ0बुद्धनगर
11	305 / 21	307 / 414 भादवि	नॉलेज पार्क	गौ0बुद्धनगर
12	306 / 21	25 / 27 आर्म्स एक्ट	नॉलेज पार्क	गौ0बुद्धनगर

**अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।**

**एसटीएफ: Shine City Group of Companies का टेक्निकल हेड व Shine City की विक्रान्त टीम का सीनियर बिजनेस मैनेजर Coin Cake Exchange व virtual Coin लांच करते हुए होटल पार्क एसेंट नोएडा से अपने 12 साथियों के साथ गिरफ्तार।**

दिनांक: 08-10-2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को Shine City Group of Companies, के टेक्निकल हेड व Shine City की विक्रान्त टीम के सीनियर बिजनेस मैनेजर को Coin Cake Exchange व virtual Coin लांच करते हुए होटल पार्क एसेंट नोएडा से उसके 12 साथियों के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-**

1. विक्रम सिंह यादव पुत्र स्व0 हरिनाम सिंह यादव सा0 1/36 जियामऊ, थाना गौतमपल्ली, जनपद लखनऊ उ0प्र0। (वांछित अभि0 एवं पूर्व सीनियर मैनेजर विक्रान्त टीम शाइन सिटी)

2. आशीष कुमार पुत्र ओमपाल सिंह निवासी 89 इन्दिरा कॉलोनी, थाना सिविल लाइन, जनपद मुजफ्फरनगर, हालपता एफ1404 आदित्य अर्बन कासा, सेक्टर 78 गौतमबुद्धनगर। (पूर्व टेक्निकल हेड शाइन सिटी)
3. मंजीत सिंह पुत्र सरदार भूपेन्द्र सिंह निवासी 109 प्रताप अवेन्यु, अमृतसर, पंजाब-143001 (पूर्व एसोसिएट शाइन सिटी)
4. रंजीत सिंह पुत्र स्व0 सरदार ऊधम सिंह निवासी ग्राम लिददड़, थाना व्यास, जनपद अमृतसर, पंजाब-143112 (पूर्व एसोसिएट शाइन सिटी)
5. शैलेश कुमार राय पुत्र रामबदन राय निवासी ग्राम पुरखास, पोस्ट बोधाछापर, थाना गोपालपुर, जनपद गोपालगंज, बिहार-841503 (पूर्व एसोसिएट शाइन सिटी)
6. संदीप सोलोमन पुत्र स्व0 विरेश सोलोमन निवासी 15/42 सिविल लाइन्स, थाना कोतवाली, जनपद कानपुर, उ0प्र0।
7. निशान्त कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी 61 रामपुरी, थाना कोतवाली, जनपद मुजफ्फरनगर, उ0प्र0। ( डायरेक्टर Coin Cake Exchange )
8. धीरज निगम पुत्र महेन्द्रनाथ निगम निवासी फ्लैट नं0 402 डिबनटीहोमस, इन्दिरानगर, थाना कल्याणपुर, जनपद कानपुर, उ0प्र0। (पूर्व एसोसिएट शाइन सिटी)
9. अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र नरायन प्रसाद मिश्रा निवासी शिवबिहार कालोनी, तिवारीचौक थाना देवघर, जनपद देवघर, झारखण्ड।
10. विपुल कुमार सिंह पुत्र केदार प्रसाद सिंह निवासी तिवारी चौक नियर आर0के0 मिशन स्कूल देवघर, जनपद देवघर, झारखण्ड।
11. इन्द्रजीत यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी ग्राम भरौली, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर, उ0प्र0। (पूर्व एसोसिएट शाइन सिटी)
12. पूजा कन्नौजिया पुत्री स्व0 देवीदीन कन्नौजिया निवासी 554ग/310क दामोदर नगर, थाना आलमबाग, जनपद लखनऊ, उ0प्र0। (पूर्व एसोसिएट शाइन सिटी)

### बरामदगी—

1. 16 अदद मोबाइल फोन।
2. 01 अदद डायरी।
3. 02 अदद पैन कार्ड।
4. 02 लैपटाप।
5. 30 अदद एटीएम कार्ड।
6. 07 अदद आधार कार्ड (4 अदद कूटरचित व 03 अदद अभियुक्तों के)
7. 116 अदद विजिटिंग कार्ड।
8. 02 अदद हॉथ घडी।
9. 06 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।
10. 04 अदद स्टैंडी बैनर।
11. 02 अदद कार (यूपी 32 एच एस 2035 फार्चुनर, यूपी 16 सीवाई 5138 टाटा सफारी)
12. 152330/—रु0 (एक लाख बावन हजार तीन सौ तीस)। नगद।

**गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समय:—**

**दिनांक:** 08.10.2021, **स्थान:** होटल पार्क एसेन्ट सेक्टर 62 नोएडा **समय:** 09:30 बजे।

पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन, अर्थ विषयक, अभिसूचना एव अनुसन्धान इकाई उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 से शाइन सिटी ग्रुप आफ कम्पनीज लि0 के विरुद्ध प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न थानों में पंजीकृत 284 अभियोगों से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में एसटीएफ उ0प्र0 के सहयोग हेतु अनुरोध किया था जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 मुख्यालय में साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि **Shine City Group of Companies** में सैकड़ों लोगो से लगभग 20 करोड़ रुपये इनवेस्ट कराकर ठगी करने वाली विक्रान्त टीम का पूर्व सीनियर बिजनेस मैनेजर व **Shine City Group of Companies** का पूर्व टेक्निकल हेड दिनांक 07/10/2021 को होटल पार्क एसेन्ट नोएडा में ठगी करने की नियत से **Coin Cake Exchange** व **virtual Coin** लांच कर रहे हैं।

उपरोक्त सूचना को विकसित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक श्री राजकुमार मिश्रा एस0टी0एफ0 नोएडा के नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम एस0टी0एफ0 मुख्यालय, एस0टी0एफ0 इकाई नोएडा एवं थाना सेक्टर 58 की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर दिनांक 08-10-2021 समय करीब 09:30 बजे उपरोक्त अभियुक्तों को होटल पार्क एसेन्ट सेक्टर 62 नोएडा से गिरफ्तार किया गया। जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त आशीष कुमार ने बताया कि मैंने लंदन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से 2011 में फोरन ट्रेड एण्ड मार्केट इनवेस्टमेंट में एम0बी0ए0 किया। इसके बाद वह वर्ष 2018 में इंडिया आया और शाइन सिटी में टेक्निकल हेड के पद पर ज्वाइन किया परन्तु 2019 में राशिद नसीम कम्पनी बंद कर देश छोड़ कर फरार हो गया। इसी समय मेरी मुलाकात विक्रम यादव से भी हुई जो विक्रान्त टीम के सीनियर बिजनेस मैनेजर थे। वर्तमान समय में राशिद नसीम दुबई में रह रहा है। पूर्व में राशिद नसीम द्वारा हम लोगों के सहयोग से एसवीसी (शाइन वर्चुअल क्वाइन) लांच किया गया था। उसके द्वारा इस स्किम में लोगों से करोड़ों की ठगी की गयी। उसी ने हम लोगों को भी बोला था कि इस समय वर्चुअल करेन्सी के काम में बहुत फायदा है। लोगों को एक वर्ष में धन दोगुना करने का प्रलोभन देकर अपना **virtual Coin** लांच कर दो। जब कम्पनी में अरबों रुपये आ जाये तो मेरी तरह कम्पनी बन्द कर सारा रूपया लेकर विदेश भाग जाना। अवैध धन अर्जित करने की लालच मैंने विक्रान्त यादव की मदद से एक प्लान बनाया कि चैन सिस्टम से ( पेयर लेफ्ट राइट जोडने पर ) अधिक मुनाफा मिलेगा। **Coin Cake Exchange** व **virtual Coin** लांच के लिए उपरोक्त लोगों से लगभग 50 लाख रुपये इकट्ठा करके **Coin Cake Exchange** व **virtual Coin** लांच करने जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। **Coin Cake Pvt. Ltd.** के बैंक खाते में 672541/ रूपये (छह लाख बहत्तर हजार पांच सौ एकतालिस रूपये) फ्रीज कराये गये।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना सेक्टर 58 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में मु0अ0स0 865/2021 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि 66 डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम व 3/4 चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

---